रजिस्ट्री सं० डी. एल-33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1997/कार्तिक 24, 1919
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1997/KARTIKA 24, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1997

सा. का. नि. 377 .—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठों में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके विरुद्ध सभी दाण्डिक मामलों, जिनमें सभी दाण्डिक रिट याचिकाएं, दाण्डिक अपीलें, आवेदन सम्मिलित हैं, के संचालन के प्रयोजन के लिए श्री पार्जेकर दत्तात्रेय तुलसीदास और श्री रियाज फकीर मोहम्मद लाम्बे, अधिवक्ताओं को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए लोक अभियोजक नियुक्त करती है :—

(i) उपर्युक्त व्यक्ति ऐसे मामलों के भारसाधक होंगे जो उन्हें विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुम्बई में केन्द्रीय सरकार अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे जाएं।

(ii) उपर्युक्त व्यक्ति, विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 23(1)/87-न्या. दिनांक 24 अप्रैल, 1987 से उपाबद्ध फीस के विवरण के अनुसार फीस के हकदार होंगे।

(iii) उपर्युक्त व्यक्ति, मुम्बई उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठों में इसमें ऊपर निर्दिष्ट किसी दाण्डिक मामले में भारत संघ या केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध उपसंजात नहीं होंगे ।

[सं. एफ. 23(1)/97-न्या.]
यू. के. झा, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 28th October, 1997

G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Palekar Dattatray Tulsidas and Shri Riyaz Fakir Mohammed Lambay, Advocates as Public Prosecutors for the purpose of conducting all criminal cases including all Criminal Writ Petitions, Criminal Appeals, Applications by or against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government in Bombay High Court and its Benches for a period of these years or until further orders whichever is earlier subject to the conditions stated below :—

(i) The above persons shall be in-charge of such matters which are entrusted to them by the Central Government Advocates in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Mumbai.

(ii) The above persons shall be entitled to the fee as per Officer Memorandum No. F. 23-(1)/87-Judl., dated 24th April, 1987 issued by the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, New Delhi.

(iii) The above persons shall not appear against the Union of India or any Central Government Office or any Department of the Central Government in any criminal case referred to hereinabove in the High Court of Judicature at Mumbai and its benches.

[No. F. 23(1)/97-Judl.]
U. K. JHA, Addl. Legal Adviser.

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th November, 1997

G.S.R. 378.—In the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Notification No. 14021/2/97-AIS(II)-B dated 17th October, 1997 published as G.S.R. No. 597(E) dated 17-10-97 in the Extraordinary Gazette of India in Part II Section 3(i) regarding the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1997:

For the entries made in para 7 relating to Schedule III, parts A, C & D, the following entries shall be substituted, namely :—

"7. In the said rules, in Schedule III, in parts A, C and D for the words and figures "Rs. 8000", "Rs. 7600-100-8000", "Rs. 7600", "Rs. 7300-100-7600", "Rs. 5900-200-6700", and "Rs. 5100-150-5400" (18th year or later) 150-6150", wherever they occur", the words and figures "Rs. 26000", "Rs. 24050-650-26000", "Rs. 24050-650-26000", "Rs. 22400-525-24500", "Rs. 18400-500-22400" and "Rs. 16400-450-20000", shall respectively be substituted."

[No. 14021/2/97-AIS (II)-B]
Y. P. DHINGRA, Desk Officer

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(आई. ई. एस. प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1997

सा.का.नि. 379—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1997 कहा जाएगा ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 में नियम 8 के उपनियम (i) में खंड (खंडों) के —

(1) उपखंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"नियंत्रक प्राधिकारी जो आयोग के परामर्श से ऐसे पदों की सूची तैयार करेगा, द्वारा इस योजना के लिए चिन्हित आर्थिक पदों में सरकार के अधीन कार्यालयों में सेवारत अधिकारियों में से इस ग्रेड में चयन द्वारा भरे जाने के लिए रिक्तियों के 40 प्रतिशत (1-8-81) से ज्यादा स्थान नहीं भरे जाएंगे । नियंत्रक प्राधिकारी सूची में संशोधन करने के लिए समय-समय पर आयोग के परामर्श से सूची में वृद्धि करेगा । चयन आयोग की सलाह पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता को उचित सम्मान देते हुए योग्यता के आधार पर उन लोगों में से किया जाएगा जो इन पदों पर नियमित आधार पर कम से कम 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों ।

परन्तु यह कि यदि सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कोई वरिष्ठ व्यक्ति पात्र है और इन रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु उस पर विचार किया जाता है तो उस कार्यालय में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने पदों पर नियमित आधार पर सेवा के 7 वर्ष पूरे नहीं किए हैं ।

[एफ. संख्या 11011/1/97-आई.ई.एस.]

सी. के. जी. नायर, उप आर्थिक सलाहकार (आई. ई. एस.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(IES Division)

New Delhi, the 21st July, 1997

G.S.R. 379.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:

1. (1) These Rules may be called the Indian Economic Service Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Economic Service Rules, 1961, in sub-rule (i) of rule 8, in clause(s),—

(1) for sub-clause (ii), the following shall be substituted namely:—

"not more than 40% (1-8-81) of the vacancies in this grade shall be filled by selection from among Officers serving in offices under the Government in Economic posts recognised for this purpose by the Controlling Authority who shall prepare a list of such posts in consultation with the commission. The Controlling Authority in consultation with the commission and to modify the list from time to time. The selection will be made from amongst those who have completed at least 7 years of service on a regular basis in these posts on the basis of merit with due regard to seniority by the Controlling Authority on the advice of the Commission.

Provided that if any junior person in an office under the Government is eligible and is considered for selection for appointment against these vacancies, all persons senior to him in that office shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered 7 years of service on a regular basis in their posts.

[F. No. 11011/1/97-IES]

C. K. G. NAIR, Dy. Economic Adviser (IES).

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

मुम्बई, 18 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि. 380—भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी 1974 को एक अधिसूचना सं एफ 1/67/ई सी/73-1 जारी की थी । उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खंड (च) के अनुसार ऐसी वस्तुओं जिनके निर्यात के लिए रिजर्व बैंक की राय में विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन नहीं होना था, का निर्यात भारत से बाहर किसी भी जगह, नेपाल और भूटान को छोड़कर, निर्धारित फार्म में घोषणा प्रस्तुत किये बगैर किया जा सकता था, बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस तरह की अनुमति प्रदान की हो।

2. निर्यात-आयात नीति के पैरा 11.9 के अनुसार ऐसी वस्तुएं अथवा उनके हिस्से, जिन्हें निर्यात किये जाने के बाद खराब/क्षतिग्रस्त अथवा अन्य प्रकार से काम के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्यातक द्वारा निःशुल्क रूप से उनके बदले में दूसरी वस्तुओं का निर्यात करके बदले जा सकते हैं ।

3. अतः, अब, भारत सरकार की दिनांक 1 जनवरी, 1974 की उक्त अधिसूचना के खंड (च) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा भारत में निवास कर रहे किसी निर्यातक को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निर्धारित फार्म में निर्धारित प्राधिकारी को कोई घोषणा प्रस्तुत किये बगैर पूर्णतः निर्यात नीति के पैरा 11.9 के प्रावधानों के अनुसार बदले की वस्तुओं का निर्यात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है ।

[अधिसूचना सं फेरा 179/97-आरबी]

आर. वी. गुप्ता, उप गवर्नर

राजीव मिश्र, निदेशक (ई.ई.)

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

Mumbai, the 18th October, 1997

G.S.R. 380.—The Central Government had in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 18 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) issued a Notification No. F1|67|EC|73-1 dated 1st January 1974. In terms of clause (f) of the proviso to the said Notification, goods, the export of which in the opinion of the Reserve Bank of India did not involve any transaction in foreign exchange could be exported to any place outside India other than Nepal and Bhutan without furnishing a declaration in the prescribed form if so

permitted by the Reserve Bank of India by a general or special order, issued in this regard.

2. In terms of para 11.9 of the Export-Import Policy, goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced by the export of replacement goods free of charge by the exporter subject to the conditions specified therein.

3. Now, therefore, in terms of clause (f) of the said GOI Notification dated 1-1-1974, the Reserve Bank of India hereby grants a general permission to an exporter resident in India, to export replacement goods, strictly in accordance with the provisions of para 11.9 of the Exim Policy without furnishing to the prescribed authority a declaration in the prescribed form stipulated in the said Notification.

[Notification No. FERA. 179/97-RB]

R. V. GUPTA, Dy. Governor

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1997

सा.का.नि. 381.—जबकि गोताखोरों के रूप में नियोजित कतिपय व्यक्तियों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (8 का 1923) की अनुसूची II में जोड़े जाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अभिप्राय वाले मसौदा प्रस्ताव को उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की विनांक 16 मई, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252 के तहत दिनांक 7 जून, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे ।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 7 जून, 1997 को आम जनता को उपलब्ध करवायी गयी थीं ।

और जबकि मसौदा प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में, अनुसूची-II में, मद संख्या (xlviii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xlix) पानी के भीतर कार्य के लिए गोताखोरों के रूप में नियोजित ।"

[फा. सं. एस-37012/2/97-एस एस-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

नोट : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची-II को मूल अधिनियम संख्या 8/1923 के एक भाग, जो 1 जुलाई, 1924 को प्रवर्तन में आया था, के रूप में प्रकाशित किया गया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 2(3) के अन्तर्गत अनुसूची का यह पहला संशोधन है ।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd November, 1997

G.S.R. 381.—Whereas a draft proposal containing intention of the Central Government to add certain persons employed as divers to Schedule-II to the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) was published as required under sub-section (3) of section 2 of the said Act Vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour number GSR. 252, dated the 16th May, 1997 in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 7th June, 1997 inviting objections or suggestions within a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the Public on the 7th June, 1997.

And whereas, no objections and suggestions regarding the draft proposal have been received by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (3) of Section 2 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in Schedule-II to the said Act, namely :—

In the Workmen's Compensation Act, 1923, in Schedule-II, after item number xlviii and the entries relating thereto and before the Explanation, the following item number and entries shall be inserted, namely :—

"(xlix) employed as divers for work under water."

[File No. S-37012/2/97-SS-II

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Note :—Schedule-II of the Workmen's Compensation Act, 1923 was published as a part of the Principal Act No. 8 of 1923 which came into force on the first day of July, 1924. This is the first amendment of Schedule-II by the Central Government under Section-2(3).

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1997

सा.का.नि. 382.—कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और इसे एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित

किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारार्थ लिया जाएगा ।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव श्री जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को भेज दी जाएं ताकि उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा सके ।

मसौदा अधिसूचना

जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे होटलों और रेस्तरों में, जिनमें खाना पकाने के कार्य में बिजली लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस या कोई अन्य मशीनी यंत्र का उपयोग किया जाता है, रसोइये के रूप में नियोजित व्यक्तियों का नियोजन एक खतरनाक व्यवसाय है।

अतएव अब कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में, अनुसूची-II में, मद सं० (XLIX) के और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित मद, अंक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(L) खाना पकाने के कार्य में बिजली, लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस या कोई अन्य मशीनी यंत्र का उपयोग करने वाले होटलों या रेस्तरों में रसोइए के रूप में नियोजित" ।

[फाइल सं. एस-37018/1/97-एस.एस.-I]
जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

नोट : 1923 के प्रधान अधिनियम सं. 8 के भाग के रूप में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची-II को प्रकाशित किया गया था जो जुलाई, 1924 के पहले दिन से प्रवृत्त हुआ । केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-2 (3) के तहत अनुसूची-II में यह पहला संशोधन है।

New Delhi, the 6th November, 1997

G.S.R. 382.—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) for making addition in Schedule-II to the said Act, is hereby published for general information and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on expiry of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions in this regard may be sent to Shri J. P. Shukla, Under Secretary, Ministry of Labour, New Delhi within three months from the date of publication of this notification so that the same may be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas the Central Government is satisfied that employment of the persons engaged as Cooks in Hotels and Restaurants using power, Liquified Petroleum Gas or any other mechanical, device in the process of Cooking is a hazardous occupation :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Central Government hereby makes the following amendment in Schedule-II of the said Act, namely :—

In the Workmen Compensation Act, 1923 (8 of 1923), in Schedule-II, after item Number (XLIX) and the entries relating thereto and before the Explanation, the following item, numbers and entries shall be inserted, namely :—

"(L) employed as cooks in hotels or restaurants using power, liquified petroleum gas or any other mechanical device in the process of cooking"

[File No. S-37018/1/97-SS-II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Note :—Schedule-II of the Workmen's Compensation Act, 1923 was published as a part of the Principal Act, No. 8 of 1923 which came into force on the first day of July, 1924. This is the first amendment of Schedule-II by the Central Government Under Section 2(3).

2806 GI/97—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1997